जिला कार्यालय समाज कल्याण जांजगीर–चांपा

क्रमांक / स.क. / स्था. / 2017 / 2841 जांजगीर, दिनांक 08/ 12 / 2017

प्रति,

कलेक्टर
सूचना के अधिकार एन.आई.सी.
जिला जांजगीर चांपा

विषय :– सूचना के अधिकार से संबंधित 17 बिन्दु की जानकारी भेजने बाबत्।

संदर्भ :– समय सीमा की बैठक में दिये गये निर्देशानुसार।

––00––

उपरोक्त विषय के संदर्भ में निवेदन है कि सूचना के अधिकार के तहत 17 बिन्दुओ की जानकारी चाही गई थी। जिसकी सी.डी. तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

उप संचालक
समाज कल्याण
जिला जांजगीर चांपा

जिला कार्यालय समाज कल्याण जांजगीर चांपा

जिला पंचायत भवन कक्ष क.05

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (4) से संबंधित 17 बिन्दुओं की जानकारी

क0	प्रश्न	उत्तर
1	अपने संगठन की विशिष्टियां कृत्य और कर्तव्य	उप संचालक समाज कल्याण जिला जांजगीर चांपा, कार्य क्षेत्र संपूर्ण जिला, कार्य शक्तियां प्रशासनिक एवं वित्तिय कार्यों का सम्पादन।
2	अपने संगठन के अधिकारियों /कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्य	समाज शिक्षा संगठक/परिविक्षाअधिकारी/ लिपिक /चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की प्रशासनिक / वित्तिय प्रकरणों का निपटारा तथा जन शिकायतों का निराकरण तथा विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त स्वेच्छिक संस्थाओं का निरीक्षण।
3	अपने विनिश्चय करने की प्रकिया में पालन की जाने वाली प्रकिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित शाखा लिपिक के द्वारा नस्ती प्रस्तुत करने पर स्वीकृति/दण्डात्मक कार्यवाही एवं कार्यालयीन शाखाओं में सुधार हेतु निर्देश/आदेश दिये जाते हैं।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वय द्वारा स्थापित मापमान	राज्य शासन द्वारा प्रायोजित नियमों/निर्देशों के तहत समाज कल्याण विभाग के कार्य संपादित किये जाते हैं।
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम विनियम एवं अनुदेश	अपने या अपने कर्मचारियों के लिये मूल भूत नियम छ.ग., छ.ग. वित्त सहिंता, छ.ग.आचरण नियम,छ.ग.सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण अपील) छ.ग.पेंशन /सामान्य भविष्य निधि आदि नियमों का प्रयोग अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु प्रयोग किया जाता है।
6	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये है अथवा उनके नियंत्रण में है।	इस कार्यालय में लिपिकों के द्वारा संबंधित शाखा के दस्तावेजों/अभिलेखों की नस्ती तैयार किया जाता है तथा कम्प्यूटर में लोड कर रखा जाता है।
7	ऐसी व्यवस्था का विवरण जो उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के संबंध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	नितिगत नियमों का निर्धारण सामान्यतः शासन द्वारा किया जाता है। जिसके तहत लोक सदस्यों के अभ्यावेदनों पर कार्यवाही/निराकरण किया जाता है।
8	बोर्ड, परिषदों समितियों और अन्य निकायों के विवरण, जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिये की गई हो, और यह विवरण कि क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों के लिए सुलभ है।	निरंक
9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	जिला कार्यालय समाज कल्याण जिला जांजगीर चांपा के स्थापना के अधिन कार्यरत् कर्मचारियों की पदोन्नति/वित्तीय प्रकरणों/अवकाश प्रकरणों एवं कर्मचारियों के शिकायतों पर कार्यवाही कर प्रकरणों का निपटारा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से संबंधित जन शिकायतों का निराकरण करना आदि।

10	अपने प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा विनियमों में अथवा क्षतिपूर्ति की प्रणाली सहित प्राप्त किया गया मासिक पारिश्रमिक।	निरंक
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित परिव्यय और किये गये आहरणों संबंधी रिपोर्ट सामग्री को दर्शाते हुए इसके अभिकरण के आबंटित बजट।	विभागीय योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आबंटन एवं व्यय नियमानुसार किया जाता है तथा जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को भेजी जाती है।
12	आबंटित राशि सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का ढंग और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का व्यौरा।	1. सामाजिक सहायता कार्यक्रम योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों का पेंशन का प्रस्ताव जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय से प्राप्त होने पर नियमित पेंशन भुगतान की कार्यवाही किया जाता है। 2. दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंक उपकरण का प्रदाय। 3. निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रोत्साहन राशि का प्रदाय। 4. निःशक्त छात्रवृत्ति का प्रदाय। 5. क्षितिज अपार संभावनाएं योजनांतर्गत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि, छात्रगृह योजना, माध्य./उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले निःशक्त विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि का प्रदाय किया जाता है। 6. समाज कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।
13	अपने द्वारा मंजूर की गई रियायतों, अनुज्ञा पन्नों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं का विवरण।	निरंक
14	अपने पास इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध अथवा धारित की गई सूचना के संबंध में व्यौरा।	जिला कार्यालय समाज कल्याण जांजगीर में कार्यालयीन कार्य के संपादन हेतु कम्प्यूटर, प्रिंटर आदि उपलब्ध है तथा सूचना हेतु ई-मेल का उपयोग किया जाता है।
15	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिको को उपलब्ध सुविधाओं के व्यौरे जिनमें जन साधारण के उपलब्ध पुस्तकालय या वाचन कक्ष के व्यौरे भी सम्मिलित हो।	सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त आवेदनों का निराकरण कर संबंधित आवेदकों को सूचना डाक द्वारा/व्यक्तिगत उपस्थित होने पर दी जाती है एवं जानकारी उपलब्ध करायी जाती है।
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम व अन्य विशिष्ठियां ।	श्री एस.एल.कुंवर उप संचालक समाज कल्याण जिला जांजगीर चांपा छ.ग.
17	अन्य उपयोगी जानकारी	निरंक

उप संचालक
समाज कल्याण
जिला जांजगीर चांपा